(385)

संख्याः 2333 / XVIII(2) / 2011–1(59) / 11

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 23 दिसम्बर, 2011

विषयः–पीपुल्स फॉर एनिमल्स कोटाबाग, नैनीताल को पशुओं के कल्याण एवं पशु चिकित्सालय हेतु 0.06 है0 भूमि दान में दिए जाने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1286 / 12–जेड0ए0सी0 / 2011 दि0–23.8.2011 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, श्री तेज सिंह निवासी ग्राम स्यात, तहसील नैनीताल द्वारा खाता सं0–10 के खेत सं0–385ब, 386ब मध्य 0.06 है0 भूमि पीपुल्स फॉर एनिमल्स कोटाबाग, नैनीताल को पशुओं के कल्याण एवं पशु चिकित्सालय हेतु दान में दिए जाने की अनुमति, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति / अनापत्ति के क्रम में, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 154(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः–

1– संस्था धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि दान में प्राप्त किए जाने के लिए अर्ह होगा।

2– संस्था बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– संस्था द्वारा दान में प्राप्त की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के दाननामा की पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसकों राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (पशुओं के कल्याण एवं पशु चिकित्सालय के निर्माण हेतु) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये संक्रमण उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति / जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति / जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार पूर्व अनुमति प्राप्त की जायेगी।

.....2

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– इस संबंध में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 123 के अंतर्गत अंतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित दाननामा रजिस्ट्रीकृत करा लिया जाएगा।

8– किसी भी दशा में प्रस्तावित संस्था को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि दान के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

9– भूमि का संक्रमण अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में संक्रमण किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

10– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन हाने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तत्क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

पृ0प0सं0–2333 /सम्दिनांकित 2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
4– आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
5– अध्यक्ष, पीपुल्स फॉर एनिमल्स, कोटाबाग, ग्राम रामदत्त कोटाबाग, जनपद नैनीताल।
6– निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
7– प्रभारी मीडिया सेन्टर उत्तराखण्ड सचिवालय।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।